प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1046/2018

• राजेंद्र मंडावी पिता स्व. मुखी राम मंडावी, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी– वार्ड क्रमांक 17, कोंडे पवार हाउस राजहरा, थाना– राजहरा, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

––– अपीलार्थी

विरुद्ध

• छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: थाना राजहरा, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

–––उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से : श्री अमन केसरवानी, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य की ओर से : श्री तारकेश्वर नंदे, पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा

बोर्ड पर निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22/07/2024

इस अपील में सत्र न्यायाधीश(प्रभारी) फास्ट ट्रैक कोर्ट बालोद, जिला बालोद (छत्तीसगढ़) द्वारा दाण्डिक प्रकरण(पोक्सो) क्रमांक 16/2017 में दिनांक 14.06.2018 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी को सिद्धदोष किया गया है एवं निम्नानुसार दण्डित किया गया है:

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के अधीन	छः माह का कठोर कारावास व 1,000/– रुपए का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड संदाय के व्यतिक्रम पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास ।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(झ) व पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5(झ)/6 के अधीन	10 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/– रुपए का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड संदाय के व्यतिक्रम पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास ।
दोनों दण्डादेशों को साथ–साथ चलाने हेतु निर्देशित किया गया है ।	

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 27.12.2016 को शाम लगभग 7 बजे पीड़िता/अवयस्क अपनी चचेरी बहन के साथ शाम की सैर के लिए गई थी और रास्ते में भारतीय स्टेट बैंक एटीएम के पास अपीलार्थी आया और उसकी चचेरी बहन से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने फोन पर बातचीत की और फिर जब अपीलार्थी ने उसे फोन किया, तो उसने पीड़िता से कहा कि वह उसके पास जाए और बताए कि वह नहीं आ पाएगी। जब पीड़िता उसे इसके बारे में बताने गई, तो वह उसे अपनी मोटरसाइकिल पर कोकान ले गया और झाड़ियों के पीछे ले गया, उसके वस्त्र उतार दिए और उसके साथ लैंगिक संबंध बनाए। उसे दर्द हुआ और उसने स्वयं का विरोध करने की कोशिश की, परंतु अपीलार्थी ने उसे किसी को भी न बताने की धमकी दी और उसके बाद उसके घर के पास छोड़ दिया। जब काफी देर तक पीड़िता नहीं मिली तो आस–पास के इलाकों में खोजबीन की गई और जब पीड़िता आई तो उसने अपने माता–पिता को घटना के बारे में बताया किंतु रात होने के कारण अगले दिन पुलिस थाना राजहरा, बालोद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 376 व 506 व पोक्सो अधिनियम की धारा 4 व 8 के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण के दौरान, घटना के समय पीड़िता द्वारा पहने गए वस्त्र व अंकसूची जब्त की गई। सहमति प्राप्त होने के उपरांत, पीड़िता को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया, उसका कथन दर्ज किया गया। अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया, उसका भी चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और उसके वस्त्र जब्त किए गए। अपराध में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट मंगाई गई और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 8 के अधीन आरोप विरचित किए गए। अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत अपीलार्थी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 376 व 506 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 4 व 8 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप लगाया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. अभियुक्त का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत सभी परिस्थितियों को अस्वीकार किया तथा कथन किया कि वह निर्दोष है एवं उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन ने आरोपों को साबित करने हेतु 9 साक्षियों का परीक्षण कराया।

5. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तथा यह विचार करते हुए कि अपीलार्थी ने ही उपरोक्त अपराध किया है, उसे उपरोक्तनुसार सिद्धदोष एवं दण्डित किया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा धारा 374(2) के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई।

6. अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क है कि अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक को पीड़िता अवयस्क थी, किन्तु विधिक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर यह तथ्य साबित नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में पीड़िता का विद्यालय दाखिल–खारिज पंजी (प्र.पी.–11) जब्त किया गया, जिससे ज्ञात होता है कि पीड़िता की जन्म तिथि 13.06.2004 है, किन्तु किसी भी साक्षी द्वारा यह साबित नहीं किया

गया कि विद्यालय में उक्त जन्म तिथि किस आधार पर दर्ज की गई। यह तर्क है कि एमएलसी रिपोर्ट प्र.पी.–16 में चिकित्सक ने पीड़िता के गुप्तांगों पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई है। उनका आगे तर्क है कि पीड़िता के अलावा, उसके कथन के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है एवं अतः, केवल पीड़िता के कथन के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है तथा भारतीय दण्ड संहिता और पोक्सो अधिनियम के कथित अपराध अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं बनते हैं, अतः, वह दोषमुक्ति का पात्र है।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पीड़िता अवयस्क थी और उसके साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उसके पास अपीलार्थी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। आगे उनका तर्क है कि पीड़िता की एकमात्र साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त अपराध के लिए अभियुक्त को सिद्धदोष करने के संबंध में प्रतिपादित विधि माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के दृष्टिगत एक सुसाबित प्रस्ताव है। अंत में, उनका तर्क है कि पीड़िता/अभियोक्त्री की स्पष्ट विश्वसनीय और अखंडित साक्ष्य अभियोजन के प्रकरण को साबित करने के लिए पर्याप्त है और यह विश्वसनीय है। अपीलार्थी की ओर से व्यक्त विरोधाभासों को साक्षियों की साक्ष्य को बदनाम करने के लिए महत्वहीन बताया गया है। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है तथा इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा उनके द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया गया तथा साथ ही विचारण न्यायालय के मूल अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी एवं सतर्कतापूर्वक परिशीलन किया गया।

9. अभियोक्त्री की माँ (अ.सा.–2) के कथनों से, उस विद्यालय के प्राचार्य जहाँ से विद्यालय दाखिल–खारिज पंजी जब्त किया गया था जिसमें दिनांक 13.06.2004 लिखा हुआ था, उस प्रधानाचार्य का कथन जहाँ उसने पहली बार दाखिला लिया था और अभियोक्त्री की जन्म तिथि 13.06.2004 लिखी हुई है। चिकित्सक (अ.सा.–7) डॉ. श्रीमती प्रभा बर्मन ने अपनी रिपोर्ट प्र.पी.–15 दी है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि बालिका के साथ बलात्संग हुआ है और आगे उन्होंने यह भी कथन किया है कि उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण पूर्णतः विकसित नहीं हुए हैं। आक्षेपित निर्णय और उपरोक्त साक्षियों के कथनों के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि पीड़िता की आयु के लेकर कोई विवाद नहीं है, जो अभिलेखों में विधिवत साबित हो चुका है और अतः विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि विद्यालय अभिलेखों के आधार पर पीड़िता की आयु लगभग 12 वर्ष थी, इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. यह सुसाबित सिद्धांत है कि न्यायालय बाल पीड़ित की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बना सकता है, यदि वह विश्वसनीय व सत्य है। संपुष्टि अभिलेख पर होना आवश्यक नहीं है, बल्कि यह विवेक का नियम है। बाल पीड़ित की साक्ष्य का अवलंब लेते समय न्यायालय को जो सावधानी बरतनी चाहिए वह यह है कि साक्षी विश्वसनीय, सुसंगत होना चाहिए और उसके किसी प्रकार के बहकावे या किसी प्रभाव में होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। प्रस्तुत किया गया कथन अप्रतिरोध्य, विश्वसनीय और उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, जो अपीलार्थी को एकल साक्ष्य के आधार पर सिद्धदोष करने में सक्षम हो।

11. जब किसी व्यक्ति पर पोक्सो अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय बलात्संग का आरोप लगाया जाता है, तो पीड़ित की आयु ऐसे आरोप को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व होती है और जब बालक 18 वर्ष से कम, 12 वर्ष व 18 वर्ष से अधिक का होता है, तो अपराध की गंभीरता परिवर्तित हो जाती है। पोक्सो अधिनियम की धारा 2(घ) के अनुसार "बालकों" का अर्थ अठारह वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है।

12. पोक्सो अधिनियम की धारा 29 में यह प्रावधान है कि न्यायालय यह मान लेगा कि अभियुक्त ने वह अपराध किया है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। यद्यपि, यह अनुमान तभी लागू होगा जब अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के संदर्भ में मूलभूत तथ्यों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर देगा। अभियोजन द्वारा मूलभूत तथ्यों को साबित करने के पश्चात, अभियुक्त के विरुद्ध अधिरोपित अनुमान को अभियोजन के साक्षियों को प्रतिपरीक्षण द्वारा बदनाम करके और अभियोजन के संस्करण में अंतराल या घटना की असंभावना को प्रदर्शित करके या संभाव्यता की प्रबलता द्वारा अनुमान का खंडन करने के लिए बचाव पक्ष के साक्ष्य का नेतृत्व करके खंडन किया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. **जरनैल सिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य, (2013) 7 एससीसी 263** में प्रतिवेदित प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बालकों के आयु निर्धारण हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए, जो निम्नानुसार हैं:

> "22. अवयस्क की आयु के निर्धारण के विवाद्यक पर, केवल किशोर न्याय (बालकों का देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 (एतस्मिन पश्चात जिसे 2007 नियम कहा जाएगा) के नियम 12 का संदर्भ लेना होगा। पूर्वोक्त 2007 नियम किशोर न्याय (बालकों का देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 68(1) के अंतर्गत बनाए गए हैं। ऊपर उल्लिखित नियम 12 निम्नानुसार है:
>
> "12. आयु के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। (1) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या किशोर से संबंधित प्रत्येक प्रकरण में, न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी प्रकरण

हो, इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति ऐसे किशोर या बालक या किशोर की आयु का निर्धारण उस प्रयोजन के लिए आवेदन करने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर करेगी। (2) न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी प्रकरण हो, समिति किशोर या बालक या, जैसा भी प्रकरण हो, विधि से संघर्षरत किशोर की किशोरता या अन्यथाता का निर्णय, प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों, यदि उपलब्ध हों, के आधार पर करेगी और उसे पर्यवेक्षण गृह या जेल में भेजेगी। (3) विधि से संघर्षरत बालक या किशोर से संबंधित प्रत्येक प्रकरण में, आयु निर्धारण जांच न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी प्रकरण हो, समिति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करके की जाएगी – (क) (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हों; और उसके अभाव में; (ii) पहले विद्यालय (प्ले विद्यालय के अलावा) से जन्म तिथि प्रमाण पत्र; और उसके अभाव में; (iii) निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र; (ख) और केवल उपर्युक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) के अभाव में, विधिवत् गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सीय अभिमत मांगी जाएगी, जो किशोर या बालकों की आयु घोषित करेगा। यदि आयु का उचित आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी प्रकरण हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यदि आवश्यक समझे, तो एक वर्ष के अंतर के भीतर बालकों या किशोर की आयु को कम मानकर उसे लाभ दे सकती है। और ऐसे प्रकरण में आदेश पारित करते समय, उपलब्ध साक्ष्य या चिकित्सीय अभिमत पर विचार करने के पश्चात, उसकी आयु के संबंध में निष्कर्ष दर्ज करेगा और खंड (क)(i), (ii), (iii) में से किसी में निर्दिष्ट साक्ष्य या उसके अभाव में खंड (ख) ऐसे बालक या विधि से संघर्षरत किशोर के संबंध में आयु का निर्णायक प्रमाण होगा। (4) यदि किशोर या बालक या विधि से संघर्षरत किशोर की आयु अपराध की तिथि को 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो उपनियम (3) में निर्दिष्ट किसी निर्णायक प्रमाण के आधार पर, न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी प्रकरण हो, समिति अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनार्थ आयु बताते हुए और किशोर होने या अन्यथा की स्थिति घोषित करते हुए लिखित रूप में आदेश पारित करेगी और आदेश की एक प्रति ऐसे किशोर या संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी। (5) सिवाय इसके कि जहां आगे की जांच या अन्यथा अपेक्षित हो, अन्य बातों के साथ–साथ, अधिनियम की धारा 7 क, धारा 64 और इन नियमों के अनुसार, इस नियम के उप–नियम (3) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन करने और प्राप्त करने के बाद न्यायालय या बोर्ड द्वारा आगे की जांच नहीं की जाएगी। (6) इस नियम में निहित प्रावधान उन निपटाए गए प्रकरणों पर भी लागू होंगे, जहां किशोर की स्थिति उप–नियम (3) और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नहीं की गई है, जिसमें विधि से संघर्षरत किशोर के हित में उचित आदेश पारित करने के लिए अधिनियम के अधीन दण्ड के वितरण की आवश्यकता होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. यद्यपि नियम 12 केवल विधि से संघर्षरत बालक की आयु निर्धारित करने के लिए ही सख्ती से लागू है, फिर भी हमारा विचार है कि उपरोक्त वैधानिक प्रावधान आयु निर्धारित करने का आधार होना चाहिए, यहां तक कि अपराध का शिकार बालक के लिए भी। क्योंकि, हमारे विचार में, जहां तक अल्पसंख्यक के विवाद्यक का संबंध है, विधि से संघर्षरत बालक और अपराध का शिकार बालक के बीच शायद ही कोई अंतर है। अतः, हमारे विचार से, अभियोक्त्री अ.सा.6 की आयु निर्धारित करने हेतु 2007 के नियम 12 को लागू करना न्यायसंगत और उचित होगा। आयु का निर्णायक रूप से निर्धारण करने का तरीका, ऊपर उद्धृत नियम 12 के उप–नियम (3) में व्यक्त किया गया है। उपरोक्त प्रावधान के अधीन, बालक की आयु नियम 12(3) में निर्धारित कई विकल्पों में से प्रथम उपलब्ध आधार को अपनाकर ज्ञात की जाती है। यदि नियम 12(3) के अंतर्गत विकल्पों की योजना में, किसी पूर्ववर्ती खंड में कोई विकल्प व्यक्त किया गया है, तो उसका किसी परवर्ती खंड में व्यक्त विकल्प पर अधिभावी प्रभाव होगा। उपलब्ध उच्चतम श्रेणी का विकल्प, निर्णायक रूप से अवयस्क की आयु निर्धारित करेगा। नियम 12(3) की योजना में, संबंधित बालकों का मैट्रिकुलेशन (या समकक्ष) प्रमाण–पत्र उच्चतम श्रेणी का विकल्प है। यदि उक्त प्रमाण–पत्र उपलब्ध है, तो किसी अन्य साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता। केवल उक्त प्रमाण–पत्र की अनुपस्थिति में, नियम 12(3) बालकों द्वारा पहली बार भाग लिए गए विद्यालय में दर्ज की गई जन्म तिथि पर विचार करने की परिकल्पना करता है। यदि जन्म तिथि की ऐसी प्रविष्टि उपलब्ध है, तो उसमें दर्शाई गई जन्म तिथि को अंतिम और निर्णायक माना जाएगा, और किसी अन्य साक्ष्य अवलंब नहीं लिया जाएगा। केवल ऐसी प्रविष्टि के अभाव में ही नियम 12(3) निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर निर्भर करता है। फिर भी, यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो संबंधित बालकों की आयु निर्धारित करने के लिए किसी भी अन्य सामग्री पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र बालकों की आयु का निर्णायक रूप से निर्धारण करेगा। उपरोक्त में से किसी के अभाव में ही नियम 12(3) संबंधित बालकों की आयु का निर्धारण चिकित्सा अभिमत के आधार पर करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अभियोक्त्री की आयु के संबंध में अभियोजन ने मुख्यतः अभियोक्त्री के विद्यालय दाखिल–खारिज पंजी (प्र.पी.–11) का अवलंब लिया है, जिसे पुलिस ने विद्यालय से जब्त किया है और प्रधानाध्यापिका श्रीमती नीलिमा दत्त (अ.सा.–4) द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 13.06.2004 अंकित है और विद्यालय दाखिल–खारिज पंजी के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 13.06.2004 अंकित है। यद्यपि प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि वह पीड़िता के विद्यालय में

उसके प्रवेश के समय उपस्थित नहीं था। शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय चिखलाकासा की प्राचार्य श्रीमती पुष्पा मेश्राम (अ.सा.–3) ने कथन किया है कि अभियोक्त्री ने जून 2014 में कक्षा 6 में प्रवेश लिया था तथा विद्यालय के दाखिल–खारिज पंजी में उसकी जन्मतिथि 13.06.2004 अंकित है। दाखिल खारिज पंजी एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जिसे लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में संधारित करता है। दाखिल खारिज पंजी में की गई प्रविष्टि लोक सेवक द्वारा की गई है, जिसे एक लोक सेवक द्वारा दूसरे लोक सेवक को उचित अभिरक्षा में दिया गया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अनुसार दाखिल खारिज पंजी विद्यालय द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है, जो प्रथम श्रेणी दस्तावेजों के अंतर्गत आता है। बचाव पक्ष ने जन्म तिथि से इंकार करने के लिए कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, अतः पीड़िता की जन्म तिथि 13.06.2004 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, अतः विचारण न्यायालय ने सही माना है कि पीड़िता की जन्म तिथि 13.06.2004 है और घटना की तारीख को वह 16 वर्ष से कम आयु की अवयस्क थी और उसकी आयु लगभग 12 वर्ष व 4 माह थी।

15. वर्तमान अपील में अवधारणीय विवाद्यक यह है कि क्या पीड़िता/अभियोक्त्री की साक्ष्य स्वीकार किए जाने योग्य है और क्या अभियोजन ने अपीलार्थी के प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. यह देखना उचित है कि लैंगिक हमला/बलात्संग के प्रकरणों में पीड़िता की एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सिद्धदोष किया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न अब सुसंगत नहीं रह गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में इस विवाद्यक पर विचार व अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन की एकमात्र साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है तो वह अभियुक्त की दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकती है और इस तरह के प्रकरणों में पीड़िता की विश्वसनीय साक्ष्य स्वीकार किए जाने योग्य है।

17. जहां तक अपराध की तिथि को पीड़िता की आयु का प्रश्न है, वह इस अप्रिय घटना के समय 12 वर्ष व 4 माह की थी। अभियोजन ने बाद में साबित कर दिया है कि कथित लैंगिक हमले के समय पीड़िता अवयस्क थी और जब अभियुक्त ने उसपर लैंगिक हमला किया था, तब पीड़िता की आयु 13 वर्ष से कम थी।

18. इसके अतिरिक्त, पीड़िता द्वारा दिए गए साक्ष्य के परिशीलन करने पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके कथन में यह पाया गया कि उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अपीलार्थी ने अपने शैतानी कृत्य से उसका बलात्संग किया। न्यायालय के समक्ष अपने कथन में भी, उसने निरंतर

कथन किया है कि अपीलार्थी उसे अपनी बाइक पर घुमाने के लिए ले गया और कोकन की ओर जाते समय, वह उसे झाड़ियों के पीछे ले गया और उसके वस्त्र उतारने के बाद, अपने वस्त्र उतारे और उसके बाद उसके साथ बलात्संग किया। अतः, पीड़िता की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है जो सुसंगत और विश्वसनीय है और इसमें सत्यता की झलक है। पीड़िता के परीक्षण के समय वह मात्र 12 वर्ष की थी तथा 12 वर्षीय बालिका के साक्ष्य में मौजूद सूक्ष्म भिन्नता समझ में आती है, जो वास्तव में उसके साथ हुई जटिलता और भयावहता को समझने के लिए संघर्षरत है।

19. अभियोक्त्री द्वारा दी गई साक्ष्य के परिशीलन से, जो प्रतिपरीक्षण में भी यथावत रही, यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपराध का वर्णन स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में किया गया है और प्रतिपरीक्षण के दौरान उसके साक्ष्य सुसंगत रही है। अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया था और उसके बाद उसे इस घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त, पीड़िता/अभियोक्त्री की साक्ष्य के स्पष्ट विवेचन पर, अपीलार्थी की ओर से उठाया गया यह तर्क कि अभियोक्त्री एक प्रशिक्षित साक्षी है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसमें कोई सार नहीं है। अपीलार्थी अभियोक्त्री की साक्ष्य का खंडन करने में असफल रहा है, जो गहन प्रतिपरीक्षण के अधीन होने के बावजूद चुनौती नहीं दी गई है। अब यदि हम साक्षियों के कथनों पर विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अपीलार्थी के विरुद्ध आक्षेपित अपराध यह साबित करता है कि अपीलार्थी ने अपराध कारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. पीड़िता (अ.सा.–1) ने कथन किया कि घटना की तारीख अर्थात 27.12.2016 को शाम लगभग 7–7.30 बजे अपीलार्थी ने उसकी चचेरी बहन मीका को फोन किया और उसके बाद उसकी बहन ने उसे अपीलार्थी को यह बताने के लिए कहा कि वह नहीं आएगी और जब वह उसे बताने गई तो अपीलार्थी उसे अपनी मोटरसाइकिल में कोकन की ओर ले गया और उसके वस्त्र उतारने के बाद बलपूर्वक उसके साथ बलात्संग किया और उसे बांस के पेड़ के पास छोड़ दिया। पीड़िता की माता (अ.सा.–2) ने कथन किया कि पीड़िता लभगभ 13 वर्ष की है और कक्षा 9 में पढ़ती है। घटना की तारीख को शाम करीब 7 बजे मीका आई और उसकी पुत्री को कुछ नाश्ता खरीदने के लिए ले गई और उसके बाद उसकी पुत्री अपीलार्थी के पास यह बताने गई कि मीका उसके पास नहीं आएगी। उस समय, वह उसे अपनी मोटर साइकिल पर घुमाने के लिए ले गया और रात करीब 10–11 बजे पीड़िता वापस लौटी और उसे घटना के बारे में बताया। श्रीमती पुष्पा मेश्राम (अ.सा.–3) शासकीय कन्या मिडिल विद्यालय चिखलाकासा की प्रधानाध्यापिका हैं और उन्होंने कथन किया है कि पीड़िता ने जून 2014 में 6 वीं कक्षा में प्रवेश लिया था और उसकी जन्म तिथि 13.06.2004 है। श्रीमती नीलिमा दत्ता (अ.सा.–4) शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय, चिखलाकासा की प्रधानाध्यापिका हैं और उन्होंने विद्यालय पंजी में दर्ज उस प्रविष्टि को साबित कर दिया है जिसमें अभियोक्त्री की जन्म तिथि 13.06.2004 बताई गई

है। डॉ. पी. धर्मेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चिखलाकासा के चिकित्सा अधिकारी हैं, जिन्होंने अपीलार्थी की चिकित्सकीय परीक्षण किया था और रिपोर्ट प्र.पी.–13 दी थी। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी लैंगिक संबंध बनाने में सक्षम है। डॉ. श्रीमती प्रभा बर्मन (अ.सा.–7) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गुंडरदेही की चिकित्सा अधिकारी हैं, जिन्होंने पीड़िता की चिकित्सकीय परीक्षण किया और प्र.पी.–15 व 16 के अनुसार रिपोर्ट दी। उन्होंने कथन किया कि पीड़िता/अवयस्क के साथ लैंगिक हमला/बलात्संग हुआ है और हाइमन टूटी हुई पाई गई। अंतरवस्त्रों में वीर्य के धब्बे मौजूद थे और धब्बे वाले क्षेत्र को चिह्नित किया गया, सील किया गया, बंद किया गया और एफएसएल को सौंप दिया गया।

21. बलात्संग के प्रकरण में अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट न होने पर क्या उसे दोषमुक्त किया जाएगा, इस प्रश्न पर विधिक स्थिति सुस्थापित है। बाल बलात्संग के प्रकरण में इस विवाद्यक पर विचार करते हुए, तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्धि को यथावत रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों का अवलंब लेते हुए, निम्नानुसार अवधारित किया गया:

> "38. ...रणजीत हजारिका विरुद्ध असम राज्य, (1998) 8 एससीसी 635 में प्रतिवेदित प्रकरण में, चिकित्सक का अभिमत था कि अभियोक्त्री के हाइमन टूटने और गुप्तांगों पर चोटों के अभाव के कारण बलात्संग नहीं हुआ प्रतीत होता है, उच्चतम न्यायालय ने यह विचार किया कि चिकित्सा अभिमत अभियोक्त्री के अन्यथा ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य को नकार नहीं सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राजस्थान राज्य विरुद्ध ओम प्रकाश, (2002) 5 एससीसी 745** में प्रतिवेदित प्रकरण में बाल बलात्संग के प्रकरण में इसी प्रकार के प्रश्न पर विचार किया, तथा अपीलार्थी की दोषसिद्धि को यथावत रखते हुए तथा उस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए, पूर्व निर्णयों का अवलंब लिया तथा निम्नानुसार अवधारित किया:

> "13. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध हेतु दोषसिद्धि बलात्संग पीड़िता के एकमात्र साक्षय पर आधारित हो सकती है, यह एक सुस्थापित प्रस्ताव है। पंजाब राज्य विरुद्ध गुरमीत सिंह [(1996) 2 एससीसी 384] में, महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध चंद्र प्रकाश केवलचंद जैन [(1990) 1 एससीसी 550] का संदर्भ देते हुए इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि लैंगिक हमले के अधीन एक महिला या बालिका अपराध की सहयोगी नहीं है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की वासना का शिकार है और उसके साक्ष्य को एक निश्चित मात्रा में संदेह के साथ परखना अनुचित और अवांछनीय है, उसे एक सहयोगी के रूप में मानना। डॉ.

न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद (जैसा कि तब माननीय न्यायाधिपति थे) द्वारा उक्त निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि स्त्रियों की अंतर्निहित शर्मीली प्रवृत्ति और छिपाने की प्रवृत्ति लैंगिक हमले के प्रकरण ऐसे कारक हैं जिन्हें न्यायालयों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रकरणों में पीड़िता का साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है और जब तक ऐसे बंधनकारी कारण न हों जो उसके कथन की संपुष्टि की तलाश करने को आवश्यक बनाते हों, न्यायालयों को किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु केवल लैंगिक हमले की पीड़िता के साक्ष्य पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहाँ उसकी साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता हो और विश्वसनीय पाई जाती हो। ऐसे प्रकरणों में, एक नियम के रूप में, उस पर विश्वास करने से पूर्व उसके कथन की संपुष्टि की माँग करना चोट पर नमक छिड़कने के समान है।

14. हिमाचल प्रदेश राज्य विरुद्ध ज्ञान चंद [(2001) 6 एससीसी] में न्यायमूर्ति लाहोटी ने पीठ की ओर से अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को सर्वप्रथम प्रस्तुत एवं अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के विश्वसनीय आशय का आकलन करना चाहिए। यदि न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलंब लेने योग्य प्रतीत होता है, तो साक्ष्य को स्वीकार किया जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, यद्यपि अन्य साक्षी उपलब्ध थे जिनकी जांच की जा सकती थी परंतु उनकी जांच नहीं की गई।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने बलात्संग के प्रकरणों में पीड़िता पर चोटों की अनुपस्थिति और संसंपुष्टि साक्ष्य के महत्व पर अपनी टिप्पणियों का दस्तावेजीकरण करते हुए **रफीक विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (1980) 4 एससीसी 262** में प्रतिवेदित अपने प्रसिद्ध निर्णय में सुस्पष्ट निम्नानुसार अवधारित किया है:

"5. अभियोक्त्री की साक्ष्य पर न्यायिक निर्भरता के लिए एक शर्त के रूप में संपुष्टि विधि का प्रकरण नहीं है, बल्कि दी गई परिस्थितियों में विवेक का मार्गदर्शन है। वास्तव में, जगह–जगह, उम्र–दर–उम्र, अलग–अलग जीवन–शैली और व्यवहार संबंधी जटिलताओं से, मौखिक और परिस्थितिजन्य तथ्यों के एक निश्चित समूह से निष्कर्ष निकालना चाहिए, न कि पूर्णतः एकरूपता के साथ बल्कि यथार्थवादी विविधता के साथ, ताकि इस क्षेत्र में विधि के शासन के रूप में कठोरता एक नए प्रकार के पूर्ववर्ती अत्याचार के माध्यम से पेश न हो। हमलावर या पीड़ित के व्यक्ति पर चोटों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के संबंध में भी यही परिशीलन सही है।

6. जब बलात्कारी अपनी अनैतिक गतिविधियों में मग्न हो रहे हों और आधी मानव जाति – महिला जाति – अपने दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य के खिलाफ विरोध कर रही हो, जब कोई भी

सम्मानित महिला किसी अन्य पर बलात्संग का आरोप नहीं लगाएगी क्योंकि वह अपने सबसे प्रिय को बलिदान कर रही है, तो हम नहीं कर सकते जीवाश्म सूत्र से चिपके रहना और संपुष्टि करने वाली साक्ष्य पर जोर देना, भले ही समग्र रूप से लिया जाए, पीड़ित द्वारा बताई गई बात न्यायिक दिमाग को संभावित लगती है।

24. **बी.सी.देवा विरुद्ध कर्नाटक राज्य (2007) 12 एससीसी 12**2 में प्रतिवेदित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य के बावजूद कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई थी, फिर भी उसके कथन को विश्वसनीय और भरोसेमंद पाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त की दोषसिद्धि को यथावत रखा। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

> "18. यह तर्क कि अभियुक्त या अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचती कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ जबरन लैंगिक संबंध नहीं बनाए हैं। यद्यपि अभियोक्त्री की चिकित्सा जांच से संबंधित स्त्री रोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट में लैंगिक संबंध के किसी भी साक्ष्य का प्रकटीकरण नहीं हुआ है, फिर भी चिकित्सा साक्ष्य की किसी भी संपुष्टि के अभाव में अभियोक्त्री का मौखिक साक्ष्य, जो कि ठोस, विश्वसनीय, मजबूत और भरोसेमंद पाई गई है, को स्वीकार किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. इस प्रकार, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बलात्संग के प्रकरण में अभियोक्त्री की साक्ष्य की संपुष्टि आवश्यक नहीं है, और यह अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। अभियोक्त्री की साक्ष्य, यदि सुस्थापित और विश्वसनीय है, तो अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु अपने आप में पर्याप्त है।

26. यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बालकों के साथ बलात्संग के प्रकरणों से निपटान हेतु न्यायालयों को संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अभियोजन ने उस व्यक्ति के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के कठोर प्रावधानों को लागू करते हुए उसके विरुद्ध आरोपों को सावधानीपूर्वक निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त, उसके विरुद्ध बलात्संग के लिए दंडात्मक कानूनों के अधीन भी आरोप लगाए गए, जो उसके कृत्यों की गंभीरता को दर्शाता है।

27. **अलख आलोक श्रीवास्तव विरुद्ध भारत संघ व अन्य (2018) 17 एससीसी 291** के प्रकरण में, पैरा 14 व 20 में, यह निम्नानुसार अवधारित किया गया है:

> "14. सर्वप्रथम, यह अधिकारपूर्वक कहा जाना चाहिए कि पोक्सो अधिनियम एक लिंग तटस्थ विधान है। इस अधिनियम को विभिन्न अध्यायों और भागों में विभाजित किया गया है। अधिनियम के अध्याय II का शीर्षक "बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध" है, जिसे पाँच भागों में विभाजित किया गया है। उक्त अध्याय के भाग अ में दो खंड हैं, अर्थात् धारा 3 व धारा 4। धारा 3 "भेदक लैंगिक हमला" के अपराध को परिभाषित करती है जबकि धारा 4 उक्त अपराध के लिए दण्ड निर्धारित करती है। इसी प्रकार, उक्त अध्याय के भाग ब का शीर्षक "गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दण्ड" में दो खंड हैं, अर्थात् धारा 5 व धारा 6। धारा 5 की विभिन्न उपधाराएँ विभिन्न स्थितियों, परिस्थितियों और व्यक्तियों की श्रेणियों से विस्तृत रूप से निपटान करती हैं जहाँ भेदक लैंगिक हमला का अपराध गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के अपराध का चरित्र ले लेगा। धारा धारा 5(के) विशेष रूप से, बालकों की मानसिक स्थिरता पर बल देते हुए यह निर्धारित करती है कि जब कोई अपराधी बालकों की मानसिक या शारीरिक अक्षमता का लाभ उठाकर बालकों पर लैंगिक हमला करता है, तो यह गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध माना जाएगा।
>
> "20. बालकों के विषय में व्यक्त करते हुए, एम.सी. मेहता विरुद्ध टी.एन. राज्य (1996) 6 एस.सी.सी. 756 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया ,
>
> "1. ... बालक मनुष्य का पिता है। एक बहादुर और जीवंत व्यक्ति का पिता बनने में सक्षम बनने के लिए, बालकों को उसके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, मनुष्य और सामग्रियों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ऐसे परिवेश में खिलना चाहिए कि आयु बढ़ने पर, वह एक मिशन वाला व्यक्ति पाया जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए मायने रखता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि "बालक हमारे देश के अनमोल मानव संसाधन हैं; वे देश का भविष्य हैं। कल की उम्मीद उन पर टिकी है। परंतु दुर्भाग्य से, हमारे देश में, बालिकाएँ बहुत ही कमज़ोर स्थिति में हैं। उनके शोषण के कई तरीके हैं, जिनमें लैंगिक हमला

और/या लैंगिक दुर्व्यवहार शामिल हैं। हमारे विचार में, बालकों का इस तरह से शोषण मानवता और समाज के विरुद्ध अपराध है।"

29. इसलिए, बालक और विशेष रूप से बालिकाएँ पूर्ण सुरक्षा की हकदार हैं और उन्हें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य विरुद्ध ओम प्रकाश, (2002) 5 एससीसी 745 के प्रकरण में अवधारित व अभिनिर्धारित किया है, बालकों को विशेष देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता है और ऐसे प्रकरणों में, इन बालकों को उचित विधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यायालयों के कंधों पर जिम्मेदारी अधिक है। निपुण सक्सेना विरुद्ध भारत संघ, (2019) 2 एससीसी 703 के प्रकरण में, इस न्यायालय ने अवधारित किया कि लैंगिक शोषण का शिकार होने वाले अवयस्क को वयस्क पीड़ित से भी अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि वयस्क पीड़ित वयस्क होने के बावजूद समाज द्वारा किए जाने वाले सामाजिक बहिष्कार और मानसिक उत्पीड़न को झेलने में सक्षम हो सकता है, परंतु अवयस्क पीड़ित को ऐसा करना कठीन प्रतीत होगा। अवयस्क पीड़ितों के विरुद्ध अधिकतर अपराध रिपोर्ट भी नहीं किए जाते हैं क्योंकि प्रायः अपराध कारित करने वाला पीड़ित के परिवार का सदस्य या उसका कोई करीबी मित्र होता है। अतः बालक को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अतः पोक्सो अधिनियम, 2012 के अधीन अपराध कारित करने वाले किसी भी अभियुक्त के साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है और सामान्यतः तब जब न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्यों के साथ यह साबित हो जाए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

30. वर्तमान प्रकरण में यह ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्त ने एक अवयस्क का बलात्संग किया था, जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष थी, जो अभियुक्त की मानसिक स्थिति या मानसिकता को दर्शाता है। अतः अभियुक्त किसी भी प्रकार की सहानुभूति और/या किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।

31. इसके अतिरिक्त, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि लैंगिक अपराधों से संबंधित प्रकरणों में पीड़िता का एकमात्र साक्ष्य सामान्यतः किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त माना जाता है, परंतु यदि अभियोक्त्री की साक्ष्य पहचानी गई खामियों और अभाव के कारण अविश्वसनीय और अपर्याप्त पाई जाती है, तो दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया:

"31. इसमें कोई संदेह नहीं है कि बलात्संग के अपराध के लिए किसी अभियुक्त के दोषसिद्धि हेतु अभियोक्त्री का एकमात्र साक्ष्य पर्याप्त है, बशर्ते कि वह विश्वास पैदा करे और पूर्णतः विश्वसनीय, बेदाग और उच्च गुणवत्ता वाला प्रतीत हो। परंतु, इस प्रकरण में अभियोक्त्री के साक्ष्य में कई खामियां हैं, जिन्हें पहले ही यहां प्रस्तुत किया जा चुका है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उसका साक्ष्य उस श्रेणी में नहीं आता है और अपीलार्थी को उक्त अपराधों के दोषसिद्धि हेतु उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता है।

32. वास्तव में उसके धारा 164 के कथन, (दण्ड प्रक्रिया संहिता) धारा 161 के कथन, प्रथम सूचना रिपोर्ट व न्यायालय में कथन में कई महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं। इसलिए, उसके साक्ष्य को स्वतंत्र रूप से पुष्ट करना आवश्यक था, जो वे रितु, उसकी बहन या बिमला देवी का परीक्षण करके कर सकते थे, जो उस समय घर में उपस्थित थे। उसके कथित अपहरण के बारे में। अभिलेख से ज्ञात होता है कि बिमला देवी को साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया था, परंतु उनसे परीक्षण नहीं कराया गया और बाद में शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर उन्हें छोड़ दिया कि उन्हें अपीलार्थी ने अपने पक्ष में कर लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. **राज्य (एनसीटी दिल्ली) विरुद्ध पंकज चौधरी, {(2019) 11 एससीसी 575}** के प्रकरण में, यह अवधारित व अभिनिर्धारित किया गया कि एक सामान्य नियम के रूप में, यदि विश्वसनीय हो, तो अभियुक्त की दोषसिद्धि बिना किसी संपुष्टि के, एकमात्र साक्ष्य के आधार पर हो सकती है। यह आगे अवधारित व अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोक्त्री की एकमात्र साक्ष्य पर न्यायालय को केवल उपधारणाओं और अनुमानों के आधार पर संदेह नहीं करना चाहिए। पैरा 29 में, यह अवधारित व अभिनिर्धारित किया गया कि:

"29. अब यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोक्त्री की एकमात्र मौखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि यथावत रखा जा सकता है यदि वह विश्वास उत्पन्न करती है। [विष्णु विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य [विष्णु विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (2006) 1 एससीसी 283]। इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा यह सुस्थापित है कि विधि या व्यवहार का कोई नियम नहीं है कि अभियोक्त्री के साक्ष्य पर संपुष्टि के बिना अवलंब नहीं लिया जा सकता है और इस प्रकार यह निर्धारित किया गया है कि बलात्संग के

प्रकरण में दोषसिद्धि के लिए संपुष्टि अनिवार्य नहीं है। यदि पीड़िता के साक्ष्य में कोई बुनियादी कमी नहीं है और "संभाव्य कारक" उसे विश्वास के अयोग्य नहीं बनाता है, तो सामान्य नियम के रूप में, चिकित्सा साक्ष्य के अलावा संपुष्टि पर बल देने का कोई कारण नहीं है, जहां प्रकरण की परिस्थितियों को विचार में रखते हुए, चिकित्सा साक्ष्य के विश्वसनीय होने की उम्मीद की जा सकती है। [राजस्थान राज्य विरुद्ध एन.के. [राजस्थान राज्य विरुद्ध एन.के.,(2000) 5 एससीसी 30]।

33. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राज्य उत्तर प्रदेश विरुद्ध सोनू कुशवाहा (2023) 7 एससीसी 475** के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है:

12. पोक्सो अधिनियम को विभिन्न प्रकार के बाल उत्पीड़न के अपराधों के लिए अधिक कठोर दण्ड प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था और इसीलिए पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 और 10 में बालकों पर लैंगिक हमलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम दण्ड निर्धारित किए गए हैं। इसलिए, धारा 6, अपनी स्पष्ट भाषा में, न्यायालय को कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ती है और विचारण न्यायालय द्वारा की गई न्यूनतम दण्ड को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब कोई दंडात्मक प्रावधान "इससे कम नहीं होगा ..." वाक्यांश का उपयोग करता है, तो न्यायालय धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और कम दण्ड नहीं दे सकते हैं। न्यायालय ऐसा करने में शक्तिहीन हैं जब तक कि कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान न हो जो न्यायालय को कम दण्ड देने में सक्षम बनाता हो। यद्यपि, हमें पोक्सो अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि उत्तरवादी उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित दण्ड भुगतने के बाद जीवन में आगे बढ़ गया है, उसके प्रति कोई नरमी दिखाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस तथ्य के अलावा कि विधि न्यूनतम दण्ड का प्रावधान करता है, उत्तरवादी द्वारा किया गया अपराध बहुत ही जघन्य है जिसके लिए बहुत कठोर दण्ड की आवश्यकता है। पीड़ित/बालक के मन पर घृणित कृत्य का प्रभाव आजीवन रहेगा। इसका प्रभाव पीड़ित के स्वस्थ विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि घटना के समय पीड़ित की आयु बारह वर्ष से कम थी। इसलिए, हमारे पास उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने तथा विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. लैंगिक अपराध की शिकार पीड़िता के साक्ष्य पर विचार करते समय न्यायालय को घटना का लगभग सटीक विवरण देने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय, पीड़िता को घटनाओं के बारे में अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर अपना कथन देने की स्वीकृति देने पर बल दिया जाता है, जहाँ तक उसे स्मरण रखना संभव हो। यदि न्यायालय ऐसे साक्ष्य को विश्वसनीय और संदेह से मुक्त मानता है, तो उस कथन की संपुष्टि करने पर संभवता ही कोई बल दिया जाता है। **हिमाचल प्रदेश राज्य विरुद्ध श्रीकांत शेखर (2004) 8 एससीसी 153** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

> "21. यह सुस्थापित है कि बलात्संग के अपराध की शिकार होने की शिकायतकर्ता अभियोक्त्री अपराध के बाद सह–अपराधी नहीं है। विधि का कोई नियम नहीं है कि भौतिक विवरणों में संपुष्टि के बिना उसकी साक्ष्य पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। वह घायल साक्षी की तुलना में उच्च स्थान पर है। बाद के प्रकरण में, शारीरिक रूप से चोट लगी है, जबकि पहले प्रकरण में यह शारीरिक के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी है। यद्यपि, यदि तथ्यों के आधार पर न्यायालय को अभियोक्त्री के कथन को उसके वास्तविक मूल्य पर स्वीकार करना कठीन प्रतीत होता है, तो वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की खोज कर सकता है, जो उसकी साक्ष्य को आश्वासन दे सके। सहयोगी के संदर्भ में समझा जाने वाला आश्वासन, संपुष्टि के बिना, पर्याप्त होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. इसी आधार पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिवशरणप्पा व अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य, (2013) 5 एस.सी.सी. 705** में निम्नानुसार अवधारित किया:

> "17. इस प्रकार, यह विधि में अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालय बाल साक्षी की साक्ष्य पर भरोसा कर सकता है और यह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है यदि वह विश्वसनीय, सत्य है और रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य साक्ष्यों द्वारा संपुष्टि की जाती है। कहने की जरूरत नहीं है कि विवेक के नियम के रूप में, न्यायालय अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से संपुष्टि देखना वांछनीय समझता है। साक्षी के अकेले कथन पर भरोसा करने के लिए लागू होने वाले सिद्धांत, अर्थात्, यह कथन सत्य और उचित व गुणवत्तापूर्ण है और केवल संपुष्टि की अभाव के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, एक बाल साक्षी पर लागू होता है जो सक्षम है और जिसका संस्करण विश्वसनीय है।"

36. इस प्रकरण में, पीड़िता ने अपने कथन में एकरूपता दिखाई है और दावा किया है कि अपीलार्थी ने उसे घुमाने के बाद अकेला पाकर उसके साथ लैंगिक हमला किया। अभियोक्त्री का कथन प्रारंभ से अंत तक, प्रारंभिक कथन से लेकर मौखिक साक्ष्य तक, अभियोजन के प्रकरण में कोई संदेह उत्पन्न किए बिना एकरूप रहा है। इस प्रकार, इस प्रकरण में, इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्राधिकार और विश्वास की स्थिति में होने के कारण, अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्संग किया था, जो लगभग 12 वर्ष और 4 माह की अवयस्क है। दोषी की दोषीता पर पीड़िता व उसकी माता के मौखिक साक्ष्य ने उसके अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इंगित किया। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन करने तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि अपीलार्थी का अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(झ) तथा पोक्सो की धारा 5(झ)/6 के अधीन निर्णायक रूप से साबित हो चुका है।

37. पूर्वगामी विमर्श के दृष्टिगत, हमारे विचार में, अभियोजन ने अपीलार्थी के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। विधि की स्थिति में कोई उल्लंघन नहीं है और इस प्रस्ताव सहित कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जब अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वसनीय, भरोसेमंद, निर्विवाद और विश्वास उत्पन्न करने वाली है; अपीलार्थी का दण्ड केवल इसके आधार पर यथावत रखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. पीड़िता के साक्ष्य को विचार में रखते हुए, जिसे दुराचार का दंश झेलना पड़ा, **पोक्सो अधिनियम** एक विशेष अधिनियम है, जिसके अन्तर्गत विधायिका ने अवयस्क पीड़ितों के हितों की रक्षा हेतु सख्त प्रावधान किए हैं।

39. अभियोजन ने अभियुक्त की दोषसिद्धि को संदेह से परे साबित करने हेतु ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे उसके अपराध के बारे में अस्पष्टता की कोई संभावना नहीं रह गई। फलस्वरूप, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को प्रदत्त दण्ड में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः, दिनांक 23.06.2022 के निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को यथावत रखा जाता है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को न्यूनतम दण्ड, अर्थात् 10 वर्ष से दण्डित किया गया है, अतः कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तदनुसार, अपील **खारिज** की जाती है।

40. अपीलार्थी को गिरफ्तारी की तिथि 29.12.2016 से जेल में निरुद्ध होने की सूचना दी गई है। उसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्ड भुगतने हेतु निर्देशित किया जाता है।

41. विचारण न्यायालय का अभिलेख एवं इस निर्णय की प्रतिलिपि विचारण न्यायालय को आवश्यक सूचनार्थ और अनुपालन हेतु अविलंब प्रेषित की जाए।

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur